अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

बीकानेर रियासत के आधुनिकीकरण में महाराजा सरदारसिंह का योगदान : एक ऐतिहासिक अध्ययन

रिंकु जोशी, शोधार्थी (इतिहास)
टांटिया यूनिवर्सिटी,श्री गंगानगर, राजस्थान

सारांश

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध बीकानेर रियासत के इतिहास में परिवर्तन एवं पुनर्गठन का काल था। महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा लोककल्याण संबंधी अनेक ऐसे प्रयास किए गए, जिन्होंने बीकानेर राज्य को परम्परागत शासन व्यवस्था से आधुनिक प्रशासन की दिशा में अग्रसर किया। 1857 ई. की क्रांति के समय अंग्रेज़ी सत्ता के प्रति अपनाई गई उनकी व्यावहारिक नीति के परिणामस्वरूप राज्य की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई तथा विकासोन्मुख सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ। उनके शासनकाल में प्रशासनिक पुनर्गठन, राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, न्यायिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों पर नियंत्रण, स्थापत्य विकास, चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक प्रयास तथा जनहितकारी योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। प्रस्तुत शोध–पत्र में इन सुधारों का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महाराजा सरदारसिंह ने बीकानेर रियासत के आधुनिकीकरण की आधारशिला किस प्रकार रखी।

मुख्य शब्द : महाराजा सरदारसिंह, बीकानेर रियासत, आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, लोककल्याण।

प्रस्तावना

महाराजा सरदारसिंह का शासनकाल बीकानेर रियासत के इतिहास में सुधारों एवं परिवर्तन के युग के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके शासनकाल में राज्य के प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक जीवन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य के समग्र विकास पर पड़ा। तत्कालीन परिस्थितियों में बीकानेर राज्य अनेक आन्तरिक चुनौतियों से जूझ रहा था। सामन्तों एवं ठाकुरों के विद्रोह, आर्थिक कठिनाइयों तथा प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। ऐसी स्थिति में महाराजा सरदारसिंह ने व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अंग्रेज़ी सत्ता के साथ सहयोग स्थापित किया और राज्य के हितों की रक्षा के साथ–साथ प्रशासनिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।

1857 ई. की क्रांति ने भारतीय इतिहास के साथ–साथ बीकानेर रियासत की राजनीति को भी प्रभावित किया। महाराजा सरदारसिंह ने इस संकटपूर्ण समय में अंग्रेज़ी सरकार का साथ दिया तथा विद्रोह को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप बीकानेर रियासत को राजनीतिक

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

लाभ प्राप्त हुए और टीबी परगने के 41 गाँव पुनः राज्य को प्राप्त हुए। साथ ही सामन्तों एवं ठाकुरों की निरंकुश गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में भी उन्हें सफलता मिली। इससे राज्य में शांति एवं स्थिरता का वातावरण बना, जिसने आगे चलकर प्रशासनिक एवं विकासात्मक सुधारों के लिए आधार तैयार किया।

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल की विशेषता यह थी कि उन्होंने केवल राजनीतिक स्थिरता पर ही बल नहीं दिया, बल्कि प्रशासनिक पुनर्गठन, सामाजिक सुधार, लोककल्याण तथा सार्वजनिक निर्माण को भी समान महत्त्व दिया। विवाह एवं मृत्युभोज में होने वाले अपव्यय पर नियंत्रण, सती प्रथा तथा जीवित समाधि जैसी कुप्रथाओं पर रोक, न्याय व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं का विकास, शिक्षा को प्रोत्साहन तथा नगर विकास संबंधी अनेक कार्य उनके शासनकाल की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। इन प्रयासों ने बीकानेर रियासत में आधुनिक शासन व्यवस्था की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार की।

प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में किए गए प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं लोककल्याणकारी सुधारों का ऐतिहासिक विश्लेषण करना है। साथ ही यह अध्ययन इस तथ्य को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि उनके शासनकाल में प्रारम्भ हुए सुधारों ने आगे चलकर बीकानेर रियासत के व्यापक आधुनिकीकरण की आधारभूमि किस प्रकार तैयार की।

1857 ई. की क्रांति एवं महाराजा सरदारसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता

सन् 1857 ई. का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने ब्रिटिश शासन तथा देशी रियासतों की राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया।[1] इस समय महाराजा सरदारसिंह ने परिस्थितियों का यथार्थ मूल्यांकन करते हुए अंग्रेज़ी सरकार के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। उन्होंने केवल औपचारिक समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज़ अधिकारियों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की तथा आवश्यक सैनिक एवं प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराई।[2] इस नीति का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार का विश्वास बीकानेर रियासत पर और अधिक सुदृढ़ हुआ।

1857 ई. की घटनाओं के पश्चात् अंग्रेज़ सरकार ने बीकानेर राज्य के सहयोग को स्वीकार करते हुए टीबी परगने के 41 गाँव बीकानेर रियासत को प्रदान किए।[3] यह महाराजा सरदारसिंह की एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त सामन्तों एवं ठाकुरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी सत्ता के साथ समझौते किए गए, जिनके परिणामस्वरूप राज्य में व्याप्त अराजकता में कमी आई तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ।[4] इस प्रकार 1857 की क्रांति महाराजा सरदारसिंह के लिए केवल एक राजनीतिक चुनौती नहीं रही, बल्कि उन्होंने इसे राज्य की प्रशासनिक एवं विकासात्मक संभावनाओं को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में भी उपयोग किया।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार : आधुनिकीकरण की संस्थागत आधारशिला

1857 ई. की क्रांति के उपरान्त महाराजा सरदारसिंह के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती राज्य में व्याप्त प्रशासनिक अव्यवस्था को नियंत्रित करना तथा शासन व्यवस्था को अधिक संगठित बनाना था। सामन्तों एवं ठाकुरों के विद्रोह, वित्तीय संकट तथा प्रशासनिक शिथिलता के कारण राज्य का नियमित संचालन प्रभावित हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला प्रारम्भ की, जिसका उद्देश्य राज्य में शांति स्थापित करना, अधिकारियों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना तथा शासन को अधिक उत्तरदायी बनाना था। यही प्रयास आगे चलकर बीकानेर रियासत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला सिद्ध हुए।

1857 ई. की घटनाओं के बाद टीबी परगने के 41 गाँव पुनः बीकानेर राज्य को प्राप्त हुए, किन्तु इन क्षेत्रों में कर–वसूली तथा प्रशासनिक अधिकारों को लेकर अनेक विवाद उत्पन्न हो गए। राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कर लगाए गए, जिससे स्थानीय प्रजा तथा जागीरदारों में असंतोष फैल गया।[5] इस स्थिति के समाधान के लिए अंग्रेज़ सरकार ने हस्तक्षेप किया और कर निर्धारण की नई व्यवस्था लागू कराई। साथ ही राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए कैप्टन पी. डब्ल्यू. पाउलेट को नियुक्त किया गया।[6] उनके निर्णयों के अनुसार जिन गाँवों पर जागीरदारों का वैध अधिकार था, उन्हें पुनः उनके अधीन कर दिया गया तथा राजस्व व्यवस्था को अधिक नियमित स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रक्रिया ने राज्य में व्याप्त तनाव को कम करने तथा प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।[7]

राज्य में विधि–व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से महाराजा सरदारसिंह ने सन् 1869 ई. में अंग्रेज़ सरकार के साथ अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण संबंधी संधि की।[8] इससे पूर्व अनेक अपराधी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर दण्ड से बच निकलते थे तथा सामन्त उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। इस संधि के पश्चात् दोनों राज्यों ने अपराधियों को एक–दूसरे के सुपुर्द करने की व्यवस्था स्वीकार की। इसके साथ ही कठोर नियम लागू किए गए, जिसके परिणामस्वरूप डकैती, लूटपाट तथा अपराधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ।[9] इस व्यवस्था ने न केवल कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि प्रजा में सुरक्षा की भावना भी विकसित की।

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल की एक प्रमुख समस्या राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति थी। राजकोष के निरन्तर संकट के कारण उन्होंने प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बार–बार दीवानों की नियुक्ति में परिवर्तन किया। लगभग बीस वर्षों के शासनकाल में अठारह दीवान बदले गए।[10] यद्यपि इसका उद्देश्य वित्तीय सुधार एवं प्रशासनिक दक्षता स्थापित करना था, किन्तु बार–बार हुए इन परिवर्तनों के कारण प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित हुई तथा अनेक अधिकारियों ने अल्पकालिक कार्यकाल

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

का लाभ उठाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।[11] इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक सुधारों के साथ–साथ शासन को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।

प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए सन् 1871 ई. में बीकानेर राज्य में कौंसिल की स्थापना की गई। इस कौंसिल में पंडित मनफूल, मानमल राखेचा, श्यामल कोचर तथा धनसुखदास कोठारी जैसे अनुभवी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक निर्णयों को अधिक संगठित एवं उत्तरदायी बनाना था। यद्यपि प्रारम्भिक वर्षों में यह संस्था अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी और कुछ समय बाद प्रशासनिक समस्याएँ पुनः उभर आईं, फिर भी बीकानेर राज्य में संस्थागत शासन व्यवस्था की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था।[12] यही व्यवस्था आगे चलकर अधिक विकसित प्रशासनिक संस्थाओं के निर्माण का आधार बनी।

महाराजा सरदारसिंह ने न्यायिक व्यवस्था को भी अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया। शासन की सुचारु व्यवस्था के लिए दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई तथा न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक दायित्वों से अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। इससे न्यायिक प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप मिला तथा राज्य की प्रजा को न्याय प्राप्त करने की अधिक संगठित व्यवस्था उपलब्ध हुई।[13] न्यायिक संस्थाओं के विकास ने शासन के प्रति जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ किया और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार महाराजा सरदारसिंह के प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार केवल तत्कालीन समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने बीकानेर रियासत में आधुनिक प्रशासनिक ढाँचे की आधारभूमि तैयार की। अपराध नियंत्रण, राजस्व पुनर्गठन, कौंसिल की स्थापना, न्यायालयों का संगठन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना जैसे उपायों ने राज्य को परम्परागत शासन प्रणाली से अधिक संगठित एवं संस्थागत प्रशासन की दिशा में अग्रसर किया। यही कारण है कि उनका शासनकाल बीकानेर रियासत के प्रशासनिक आधुनिकीकरण का प्रारम्भिक चरण माना जाता है।

सामाजिक सुधार एवं जनकल्याण

महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन तथा लोककल्याण के विविध क्षेत्रों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इन सुधारों का उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को नियंत्रित करना तथा जनसामान्य के जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाना था। यही कारण है कि उनके शासनकाल को बीकानेर रियासत में सुधारों के युग के रूप में भी स्मरण किया जाता है।

आर्थिक क्षेत्र में महाराजा सरदारसिंह ने राजस्व व्यवस्था को अधिक नियमित बनाने का प्रयास किया। राज्य की टकसाल में प्रचलित सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन किया गया तथा तत्कालीन राजनीतिक

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

परिस्थितियों के अनुरूप मुद्राओं पर अंकित विवरणों में भी संशोधन कराया गया। इससे मुद्रा व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई तथा व्यापारिक लेन–देन में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया। साथ ही स्वर्ण मुद्राओं के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापारियों एवं साहूकारों को कर में रियायतें प्रदान की गईं।[14] यह नीति व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक संसाधनों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम थी।

व्यापारिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मंडी प्रशासन में भी सुधार किए गए। मंडी विभाग की आय के स्रोतों को स्पष्ट किया गया तथा तहसील स्तर पर उसके संचालन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। व्यापारिक माल के आवागमन, कर संग्रह तथा राजस्व अभिलेखों को अधिक नियमित बनाने का प्रयास किया गया। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुआ। मंडी व्यवस्था का यह पुनर्गठन बीकानेर रियासत की आर्थिक संरचना को अधिक संगठित बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास था।[15]

महाराजा सरदारसिंह ने सामाजिक सुधारों को भी अपने शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया। उन्होंने विवाह एवं मृत्युभोज जैसे सामाजिक अवसरों पर होने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए। मृत्युभोज में अत्यधिक खर्च पर रोक लगाने तथा सामाजिक आयोजनों को मर्यादित रखने का प्रयास किया गया।[16] इसी प्रकार महाजनों से लिए जाने वाले कुछ स्थानीय करों में भी राहत प्रदान की गई, जिससे व्यापारिक वर्ग को आर्थिक सुविधा मिली।[17] इन उपायों का उद्देश्य सामाजिक जीवन में सादगी तथा आर्थिक संतुलन को बढ़ावा देना था।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में महाराजा सरदारसिंह के प्रयास विशेष उल्लेखनीय थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक व्यवस्था लागू की तथा इस प्रथा को प्रोत्साहित करने अथवा उसमें सहयोग देने वालों के लिए दण्ड का प्रावधान किया। इसी प्रकार सन् 1854 ई. में जीवित समाधि की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया।[18] यह निर्णय तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में अत्यन्त प्रगतिशील माना जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य ने धार्मिक आडम्बरों के नाम पर होने वाली अमानवीय प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया।

लोककल्याण की दृष्टि से भी महाराजा सरदारसिंह का शासन महत्त्वपूर्ण रहा। वे स्वयं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रजा की वास्तविक समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते थे[19] तथा कलाकारों एवं शिल्पियों को राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे। उनके शासनकाल में नियमित दरबार की व्यवस्था थी, जहाँ प्रजा अपनी शिकायतें सीधे महाराजा के समक्ष प्रस्तुत कर सकती थी।[20] इस व्यवस्था ने शासक और प्रजा के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया तथा प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाया।

सन् 1867 ई. में बीकानेर रियासत की जनगणना कराई गई, जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।[21] जनसंख्या संबंधी आँकड़ों के आधार पर शासन को राज्य की सामाजिक एवं

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

आर्थिक स्थिति का अधिक व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए। डॉ. कॉलरिज के सेवा छोड़ने के पश्चात् आगरा से चिकित्सक लक्ष्मण पांडे को नियुक्त किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि महाराजा प्रजा के स्वास्थ्य के प्रति सजग थे।[22] शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रारम्भिक पाठशालाओं को प्रोत्साहित किया गया तथा परम्परागत शिक्षण व्यवस्था के साथ संगठित शिक्षा के विकास की दिशा में प्रयास किए गए।[23]

सन् 1868–69 ई. का भीषण अकाल महाराजा सरदारसिंह के शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। इस संकट के समय राहत कार्य प्रारम्भ किए गए, तालाबों का निर्माण कराया गया तथा निर्धन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। यद्यपि अकाल के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति अत्यन्त प्रभावित हुई और जनजीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, फिर भी उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया।[24] इन कार्यों से स्पष्ट होता है कि महाराजा सरदारसिंह ने कठिन परिस्थितियों में भी लोककल्याण को शासन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी माना।

निष्कर्ष

महाराजा सरदारसिंह का शासनकाल बीकानेर रियासत के इतिहास में संक्रमण एवं आधुनिकीकरण के प्रारम्भिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि उनके शासनकाल में आधुनिक संस्थाओं का पूर्ण विकास नहीं हो सका, तथापि उन्होंने बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में जो सुधारात्मक प्रयास किए, उन्होंने बीकानेर राज्य के भावी विकास की सुदृढ़ आधारशिला रखी। 1857 ई. की क्रांति के समय अपनाई गई उनकी व्यावहारिक एवं दूरदर्शी नीति ने राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की तथा अंग्रेज़ी सरकार के साथ स्थापित सहयोगात्मक संबंधों के परिणामस्वरूप बीकानेर रियासत को प्रशासनिक पुनर्गठन एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ।

महाराजा सरदारसिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संगठित बनाने के उद्देश्य से कौंसिल की स्थापना, न्यायिक सुधार, अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधी संधि तथा राजस्व व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा, व्यापार एवं मंडी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने के प्रयास किए गए, जबकि सामाजिक क्षेत्र में सती प्रथा, जीवित समाधि तथा अपव्ययी सामाजिक परम्पराओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। जनगणना, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा के प्रोत्साहन, सार्वजनिक निर्माण तथा अकाल राहत संबंधी कार्यों ने भी उनके शासन की जनोन्मुखी नीति को स्पष्ट किया। इन सुधारों का प्रभाव तत्कालीन प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इन्होंने बीकानेर रियासत में उत्तरवर्ती शासकों द्वारा किए गए व्यापक आधुनिकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी निर्मित कीं।

अतः यह कहा जा सकता है कि महाराजा सरदारसिंह का योगदान केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे दूरदर्शी प्रशासक के रूप में भी महत्त्वपूर्ण है, जिसने परम्परागत शासन व्यवस्था और

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली के मध्य सेतु का कार्य किया। उनके शासनकाल में प्रारम्भ किए गए सुधारों ने बीकानेर रियासत को प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा लोककल्याण की दिशा में अग्रसर किया। इस दृष्टि से महाराजा सरदारसिंह का शासनकाल बीकानेर रियासत के आधुनिकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रारम्भिक एवं निर्णायक चरण माना जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. दयालदास, सिंधायच, ख्यात देशदर्पण (बीकानेर राज्य का इतिहास), प्रधान सम्पा. जे. के. जैन, बीकानेर, 1989 ई., पृ. 142।
2. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, बीकानेर राज्य का इतिहास, भागदृ2, बीकानेर, 2007 ई., पृ. 79।
3. **Aitchison, C. U. A Collection of Treaties, Engagements and Sanads, Vol. III, Calcutta, 1892, pp. 307-308.**
4. सिंह, करणी, बीकानेर के राजघराने का केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्ध, बीकानेर, 1968 ई., पृ. 177–180।
5. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, पूर्वोक्त, पृ. 85।
6. **Powlett, P. W. : Gazetteer of the Bikaner State, Bikaner, 1932, p. 88.**
7. सिंह, करणी, पूर्वोक्त, पृ. 185।
8. मुंशी सोहनलाल, तवारीख राजश्री बीकानेर, बीकानेर, 1898 ई., पृ. 327–329।
9. गुप्ता, बेनी, राजस्थान का इतिहास, जयपुर, 1998 ई., पृ. 174।
10. **The Imperial Gazetteer of India. Vol. VIII, Oxford, 1908, p. 207.**
11. सिंह, करणी, पूर्वोक्त, पृ. 187।
12. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, पूर्वोक्त, पृ. 88।
13. रेऊ, विश्वेश्वरनाथ, भारत के प्राचीन राजवंश, जोधपुर, 1925 ई., पृ. 349।
14. ज्वाला सहाय, वकाए राजपूताना (उर्दू), जिल्ददृ3, आगरा, 1879 ई., पृ. 746।
15. ज्वाला सहाय, पूर्वोक्त, पृ. 713।
16. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, पूर्वोक्त, पृ. 76।
17. सिंह, करणी, पूर्वोक्त, पृ. 176।
18. गुप्ता, बेनी, पूर्वोक्त, पृ. 173।
19. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द, पूर्वोक्त, पृ. 90।
20. मेघसिंह, तारीख रियासत बीकानेर (उर्दू), भाग 1, बीकानेर, 1898 ई., पृ. 8।
21. दयालदास, सिंधायच, पूर्वोक्त, पृ. 154।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 8.789 Volume 14-Issue 02, (April-June 2026)

22. **Rajvi, Amar Singh. Medieval History of Rajasthan. Vol. 1, Jaipur, 1992, p. 524.**

23. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, बीकानेर, सम्पा. के. के. सहगल, जयपुर, 1972 ई., पृ. 340।

24. ज्वाला सहाय, पूर्वोक्त, पृ. 743दृ747।